न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जयपुर
मु०न० 60/17 रामजीलाल बनाम ज्ञानी

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रा० पत्र 151CPC हेतु पेश है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन पश्चात् हम पाते है कि प्रार्थी/वादी ने उक्त प्रा० पत्र पेश कर अवगत कराया कि माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है एवं वाद का मुख्य आधार यह है कि वादी के अपने पिता स्व० भौरीलाल उर्फ भैरु से उनके कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि उनके द्वारा वादी के पक्ष में की गई दिनांक 28/02/1989 की वसीयत के आधार पर प्राप्त हुई है। वादी ने उक्त वर्णित वसीयत के संबंध में एक आवेदन पत्र बाबत् प्राप्त किये जाने प्रोबेट/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अन्तर्गत धारा 278 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर जयपुर में पेश कर रखा है अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण में सिविल वाद के	

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		विचाराधीन रहते उक्त प्रकरण में कोई आग्रिम कार्यवाही नहीं किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः प्रार्थी/वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 151 CPC स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधिश जयपुर महानगर जयपुर के मुकदमा सं 5816/2016 के निस्तारण तक स्थगित कर वादपत्र की कार्यवाही ड्रोप/खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 17/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर